INTERNATIONAL ADVANCE JOURNAL OF ENGINEERING, SCIENCE AND MANAGEMENT (IAJESM)
July-December 2023, Submitted in December 2023, iajesm2014@gmail.com, ISSN -2393-8048
Multidisciplinary Indexed/Peer Reviewed Journal. SJIF Impact Factor 2023 =6.753

आधुनिकीकरण का वैवाहिक विचारों पर प्रभाव : एक अध्ययन

डॉ. राजेश कुमार सक्सेना, प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग, विजयाराजे शासकीय कन्या स्नातकोत्तर, महाविद्यालय, मुरार, ग्वालियर म.प्र.

स्त्री ओर पुरूष सृष्टि के सफल संचालन के आधार है। जैविकीय कारणों से दोनो की शरीर रचना कुछ ऐसी है कि ये दोनो एक दूसरे के बगैर अपूर्ण है। एस अपूर्णता को समाप्त करने एवं सृष्टि की निरंतरता को बनाये रखने के लिए किए समाज द्वारा स्वीकृत माध्यम विवाह है। स्त्री और पुरूष की प्रकृति प्रदत्त आधारभूत आवश्यकताऐं होती है। जिसमें योन इच्छा स्वतः ही इन दोनों को एक–दूसरे के प्रति आकर्षित करती है और संसर्ग के द्वारा एक दूसरे की योन इक्छाओं को तृप्त करते है।

विकास के प्रारम्भिक समय में स्त्री एवं पुरुष अन्य प्राणीयों की भाति स्वछन्द यौन संबंध स्थापित करते थे। जिससे उत्पन्न सतंति की वैधानिकता की समस्या उनके समक्ष खड़ी होती होगी। मानव अन्य प्राणियों की तुलना में अधिक विवकेशील प्राणी है अतः उसने अनियंत्रित यौन संबंधों के कारण जन्म ली गई सतंति को वैधानिकता प्रदान करने के लिए प्रयास किए होंगें, उन्हीं प्रयासों का परिणाम विवाह रूपी संस्था में परिलक्षित होता है।

चूंकि समाज का क्रमिक विकास हुआ है और अनेक परिवर्तनों द्वारा उत्तरोत्तर विकसित हुआ है। उसी तरह सभी सामाजिक संस्थाओं का भी विकास हुआ है। समय के साथ–साथ विवाह का उददेश्य अनियंत्रित यौन संबंधों पर नियंत्रण एवं संतान को वैध निकता प्रदान करने तक ही सीमित न रहकर परिवारिक एवं सामाजिक जिम्मेदारीयों के साथ–साथ सामाजिक नियमों का पालन करते हुये परिवर्तित एवं परिमार्जित होता रहा है। कालांतर में विवाह एक ऐसी सामाजिक संस्था के रूप में विकसित हुआ जो प्रायः सभी समाजों की संस्कृति का आवश्यक अंग हैं यह सर्वभौमिक रूप से संसार में किसी न किसी रूप में विद्यमान है और ऐसा आधार स्तम्भ है जिसके द्वारा मानव समाज का अस्तित्व बना हुआ है। समाज की प्रारंभिक इकाई परिवार का निर्माण भी विवाह नामक संस्था से होता है।

विवाह को परिभाषित करते हुये वैस्टमार्क ने लिखा है– ''विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध है जिसे प्रथा या कानून स्वीकार करता है और जिसमें इस संगठन में आने वाले दोनो पक्षों एवं उनके उत्पन्न बच्चों के अधिकारों एवं कर्तव्यों का समावेश होता है।''

बोगार्डस के अनुसार ''विवाह स्त्री और पुरूषों के परिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली एक संस्था है।''

अतः विवाह वह संस्था है जो स्त्री पुरूषों के यौन संबंधो का नियमन ही नही करती अपितु यह परिवारिक एवं सामाजिक जीवन में प्रवेश के साथ साथ बच्चों का लालन पालन एवं सामाजिक निरंतरता को सामाजिक मूल्यों के सापेक्ष बनाये रखने में महत्वपूर्ण है।

विवाह करने की आयु और विलंब विवाह –

विवाह प्रथमता स्त्री और पुरुष की यौन इच्छा की पूर्ति हेतु समाज द्वारा स्वीकृति है। प्राकृतिक ही युवा अवस्था प्राप्त करने पर लड़का एवं लड़की की यौन इक्छाएं जाग्रत होने लगती है। अतः समाज प्रथा कानून आदि विवाह के लिए न्यूनतम आयु का निर्धारण करते है। यह अलग बात है कि विवाह करने की न्यूनतम आयु का निर्धारण करने का आधार अलग–अलग हो सकता है। भारत में विशेष विवाह अधिनियम 1954 के द्वारा विवाह के संबंध में लड़के की आयु 21 वर्ष एवं लड़की की आयु 18 वर्ष को विवाह करने की आयु घोषित की गई है। विवाह की आयु निर्धारण के संबंध में यदि हम प्राचीन भारतीय समाज की आश्रम व्यवस्था का अध्ययन करते है तो स्पष्ट होता है। कि प्राचीन समय में विवाह करने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित थी।

विवाह की संवेदनशीलता को अपने दृष्टिकोण से समझते हुए हाल ही में विधि आयोग ने विवाह, बाल विवाह एवं शारीरिक संबंध की सहमति देने की वैधानिक उम्र को लेकर सरकार के समक्ष सिफारिश पेश की है। सरकार के समक्ष विधि आयोग ने 6 फरवरी 2008 को यह प्रस्ताव पेश किया है कि लड़के की शादी की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष एवं लड़की की उम्र 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करदेनी चाहिए। विधि आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि हमारा प्रस्ताव विवह की न्यूनतम आयु सीमा के लिए है, न कि अधिकतम आयु सीमा के लिए।

विवाह के संबंध में विधि आयोग का यह दृष्टिकोण निश्चित ही विवाह करने के संबंध में जैवकीय आधार को प्रस्तुत करता है, यदि विधि आयोग के इस प्रस्ताव को मान लिया जाता है, तो प्रश्न उठता है कि क्या 16 वर्ष की लड़की एवं 18 वर्ष का लड़का वास्तव में मानसिक व शारिरिक रूप से विवाह योग्य हो जाते है। यह अलग शोध का विषय हो सकता है। शारीरिक संबंध स्थापित करने की

क्षमता प्राप्त कर लेना एक अलग बात है और पारिवारिक जिम्मेदारियों के निर्वाहन की क्षमता प्राप्त करना एक अलग बात है। चूँकि विवाह की परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि विवाह मात्र यौन इच्छाओं की पूर्ति का साधन ही नही है, अपितु विवाह से पारिवारिक सामाजिक, आर्थिक एवं बच्चों के लालन पालन की जिम्मेदारिया जुड़ी होती है जिनके निर्वाहन की योग्यता प्राप्त करना भी लड़के एवं लड़की के लिए समाज आवश्यक मानता है। तेजी से बदलते सामाजिक परिद्रश्य, ओद्योगीकरण, नगरीकरण, धन व शिक्षा का बड़ता महत्व युवाओं में बढ़ती महत्वाकांक्षाएँ एवं परिवर्तित सामाजिक मूल्यो ने बिलंब विवाह की प्रवृति को जन्म दिया है। विलम्ब विवाह किसे कहेंगे, इसे सामाजिक मूल्यों के सापेक्ष समझा जाये या जैवकीय आधार पर समझा जायें अथवा किस उम्र में होने वाले विवाह को बिलम्ब विवाह कहेंगें इसका वैधानिक रूप से निर्धारण कोई कानून नही करता है।

अतः अपने अध्ययन के लिए मैनें श्विशेष विवाह अधिनियम 1954श को आधार माना है, जिसके अनुसार विवाह की न्यूनतम आयु लड़के के लिए 21 वर्ष एवं लड़की के लिए 18 वर्ष घोषित की गई है। इस अध्ययन के सम्बंध में पुरूषों में 21–25 वर्ष की आयु विवाह की सामान्य आयु माना गया है। सामान्यता 25 वर्ष तक लड़का अर्थोपार्जन एवं परिवारिक उत्तरदायित्वो को वहन करने हेतु परिपक्व हो जाता है। 25 वर्ष से अधिक आयु के वे युवा जो विवाह करना चाहते है परन्तु किन्ही कारणों से वह अविवाहित है। उनके भावी विवाह को मैने बिलंव विवाह माना है।

शोध के उद्देश्य –

(1) युवाओं के दृष्टिकोण में विवाह की न्यूनतम आयु एवं अधिकतम आयु को जानना। (2) वर्तमान समय में युवाओं कीं जीवन साथी चयन में प्राथमिकता को जानना। (3) विलम्व विवाह के कारणो को जानना। (4) जीवन साथी चयन के माध्यम के वारे में जानना। (5) युवाओं का विवाह उपरान्त परिवार के स्वरूप के चयन संबंधी विचारों को जानना।

अध्ययन–पद्धति –

शोध अध्ययन के लिए साक्षात्कार एवं अनुसूची के उपयोग द्वारा समंको का एकत्रीकरण किया है। ग्वालियर महानगर के प्रत्येक वार्ड से दस (सत्तर) ऐसे उत्तरदाताओं को शोध अध्ययन में सम्मिलित किया है जो 25 वर्ष या इससे अधिक आयु के एवं अविवाहित है।

उपकल्पना –

युवावस्था प्राप्त सभी युवा एवं युवतियाँ विवाह करना चाहते हैं। वर्तमन समय में युवा अपने विवाह से अधिक अपनी शिक्षा एवं रोजगार को प्राथमिकता दे रहे हैं। एवं आर्थिक स्थिति वैवाहिक स्थिति को प्रभावित करती है।

अध्ययन से प्राप्त तथ्यों का विवरण एवं विश्लेषण –

उत्तरदाताओं की आयु :– शोध अध्ययन में सम्मिलित अविवाहित उत्तरदाताओं की आयु को तालिका क्रमांक 01 में दर्शाया गया है।

तालिका क्रमांक 01 उत्तरदाताओं की आयु

आयु वर्ग (वर्षो में)	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
25–27	24	34.28
28–30	26	37.4
31–33	17	24.28
34 से अधिक	3	4.28
योग	70	100

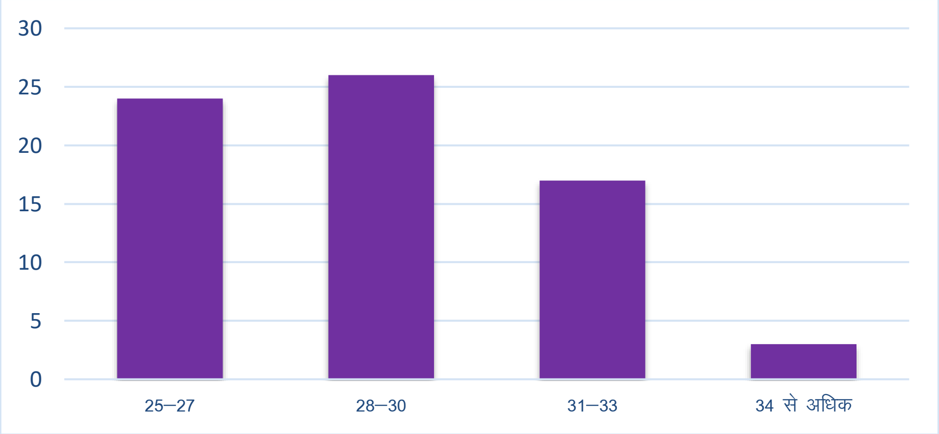

अध्ययन समूह में चयनित कुल 70 उत्तरदाताओं मे से 25 से 27 आयु वर्ग के 34.28 प्रतिशत उत्तरदाता है एवं 37.4 प्रतिशत उत्तरदाता 28 से 30 वर्ष के है। जबकि 28.56 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे भी हैं। जो 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के हैं अतः स्पष्ट है कि सभी उत्तरदाता बिलंब विवाह की निर्धारित आयु 25 वर्ष से अधिक के है।

विवाह की न्यूनतम एवं अधिकतम आयु के संबंध में उत्तरदाताओं का मत –

शोध अध्ययन में सम्मलित उत्तरदाताओं के दृष्टिकोण में विवाह करने की न्यूनतम एवं अधिकतम आयु क्या हो इस संबंध मे विस्तृत विवरण तालिका क्रमांक 2 में अंकित है।

तालिका क्रमांक 02 विवाह की न्युनतम एवं अधिकतम आयु के संबंध में उत्तरदाताओं के मत

विवाह की न्यूतम एवं अधिकतम आयु (वर्षो में)	विवाह की न्यूनतम आयु		विवाह की अधिकतम आय	
	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
21—23	14	19.99	2	2.85
24—26	34	48.57	13	18.57
27—29	20	28.57	42	60.00
30 से अधिक	2	2.85	13	18.57
योग	70	100	70	100

तालिका क्रमांक 02 से स्पष्ट होता है कि 21 से 23 आयु वर्ग को 19.99 प्रतिशत उत्तरदाता न्यूनतम आयु मानते हैं जबकि 2. 85 प्रतिशत उत्तरदाता 21 से 23 आयु वर्ग को विवाह की अधिकतम आयु मानने के पक्ष में हैं। 24 से 26 आयु वर्ग को सर्वाधिक 48.57 प्रतिशत उत्तरदाता विवाह की न्यूनतम आयु मानते है और 18.57 प्रतिशत उत्तरदाता विवाह करने की अधिकतम आयु मानते है । 28. 57 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे है जो 27 से 29 आयु वर्ग को विवाह की न्यूनतम आयु मानने के पक्ष में है एवं सर्वाधिक 60 प्रतिशत उत्तरदाता इसी आयु वर्ग को विवाह करने की अधिकतम आयु मानते है। साथ ही 2.85 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे भी है जो विवाह की न्यूनतम आयु को 30 वर्ष से अधिक एवं 18.57 प्रतिशत उत्तरदाता इसी आयु वर्ग को विवाह की अधिकतम आयु सीमा मानते है। स्पष्ट होता है कि 24 से 29 वर्ष आयु वर्ग को सर्वाधिक उत्तरदाता विवाह की न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा मानते है ।

जीवन साथी के चयन का माध्यम –

शोध अध्ययन में सम्मलित उत्तरदाताओं से जीवन साथी चयन के माध्यम के संबंध में अध्ययन किया, जिसका विवरण तालिका क्रमांक 03 में दर्शाया गया है।

तालिका क्रमांक –03 जीवन साथी चयन का माध्यम

जेवन साथी चयन का माध्यम	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
परिवार द्वारा तय संबंध	48	68.57
इंटरनेट के माध्यम से	3	4.28
प्रेम विवाह	14	20.00
समाचार पत्र	5	7.14
योग	70	100

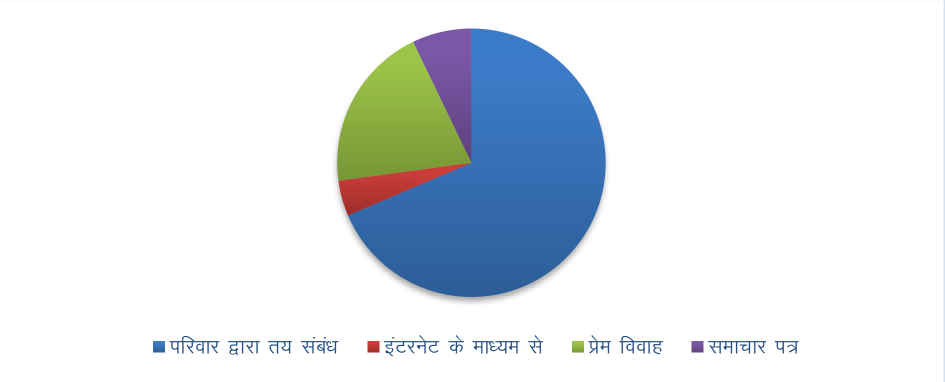

तलिका क्रमांक 03 में वर्णित जीवन साथी चयन का माध्यम में सर्वाधिक 68.57 प्रतिशत उत्तरदाता परिवार द्वारा तय किए गए संबंध के पक्ष में है। जब कि 20 प्रतिशत उत्तरदाता प्रेमविवाह एवं 11.42 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे है जो अपने जीवन साथी का चयन इंटरनेट या समाचार पत्र के माध्यम से करना चाहते हैं।

जीवन साथी के चयन में प्राथमिकता – के सम्बंध में जो तत्य ज्ञात हुये उन्हें निम्न तालिका में दर्शाया गया है–

तालिका क्रमांक 04 जीवन साथी के चयन में प्राथमिकता

प्राथमिकता	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
शिक्षा	25	35.71
धन	9	12.85
सुन्दरता	18	25.71
पारिवारिक	7	10.00
शासकीय सेवारत	11	15.71
योग	70	100

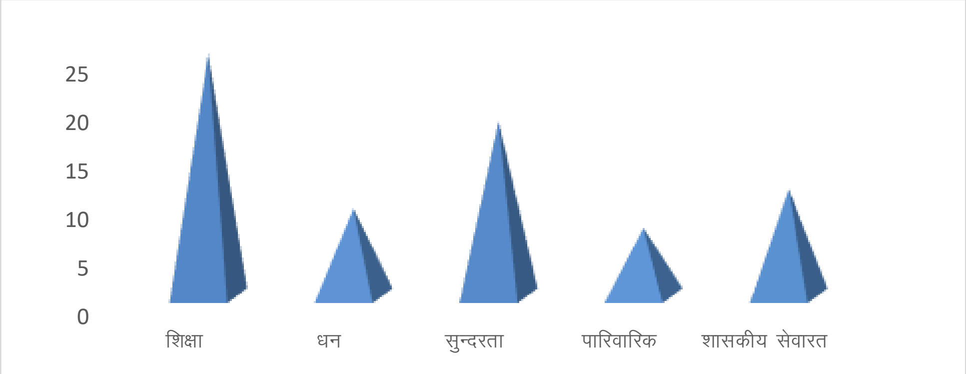

तालिका क्रमांक 04 से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 35.71 प्रतिशत उत्तरदाता अपने जीवन साथी के चयन में शिक्षा को प्राथमिकता देते है। जबकि लगभग इतने ही 25.71 प्रतिशत उत्तरदाता जीवन साथी के चयन में सुन्दरता को प्राथमिकता देते है। 15.71 प्रतिशत उत्तरदाता जीवन साथी का शासकीय सेवारत होना तथा 10 प्रतिशत उत्तरदाता उच्च परिवारिक एवं मात्र 12.85 प्रतिशत उत्तरदाता जीवन साथी के चयन में धन को प्राथमिकता देते है। प्राप्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि सुन्दरता वर्तमान में भी जीवन साथी के चयन की सर्वोपरि प्राथमिकताओं में से एक है। एवं शिक्षा जीवन साथी के चयन में पहली प्राथमिकता में है। तथा धन एवं परिवारिक कों युवा सबसे कम प्राथमिकता देते हैं।

अभी तक विवाह न होने का कारण –

शोध अध्ययन में चयनित उत्तरदाताओं के अभी तक विवाह न होने के कारणों को जानने का प्रयास किया विवाह न होने के कारणों को तालिका क्रमांक 5 में स्पष्ट किया गया है।

तालिका क्रमांक 05 अभी तक विवाह न होने का कारण

कारण	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
आत्मनिर्भर न होना	26	37.44
परिवार की निम्न आर्थिक स्थिति	16	22.85
योग्य जेवन साथी न मिलना	13	18.57
विवाह के लिए परिवार के सदस्यों का ध्यान न देना	2	2.85
छोटे / बडे भाई वहिनों का विवाह न होना	7	10.00
जन्मकुण्डली	6	8.57
योग	70	100

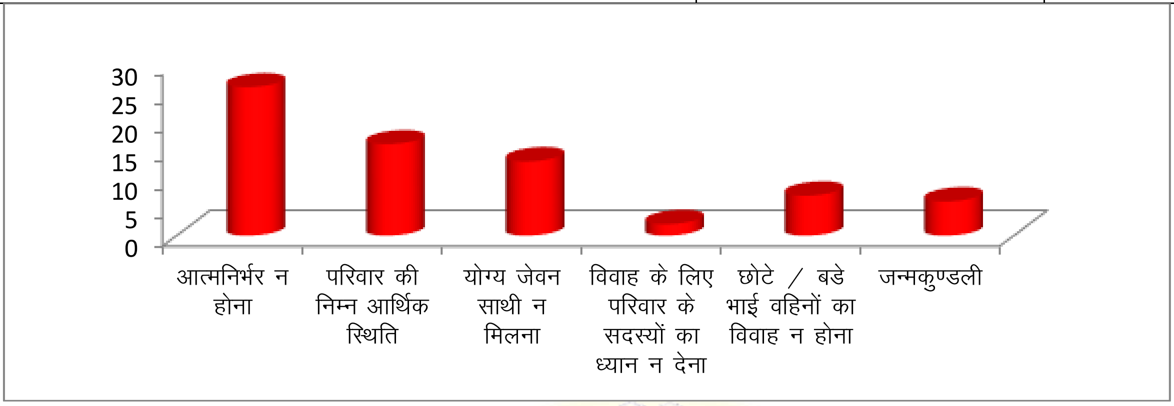

तलिका क्रमाक 05 में वर्णित अभी तक विवाह न होने का कारण से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 37.4 प्रतिशत उत्तरदाता आत्म निर्भर न होने का अपने विवाह न होने का कारण मानते है एवं 20. 85 प्रतिशत उत्तरदाता अपने परिवार की निम्न आर्थिक स्थिति को एवं 18.57 प्रतिशत उत्तरदाता योग्य जीवन साथी न मिलने को अपने विवाह न होने का कारण मानते है जबकि 10 प्रतिशत उत्तरदाता अपने छोटे बड़े भाई बहनो का विवाह न होना एवं 2. 85 प्रतिशत उत्तरदाता का मानना है कि परिवार के सदस्यो ने उनके विवाह पर ध्यान नही दिया जबकि 8.75 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे हैं जो जन्मकुण्डली में कोई दोष होने के कारण को अपने विवाह न होने का कारण मानते हैं।

उक्त विवरण से स्पष्ट संकेत मिलते है कि बेरोजगारी एवं आर्थिक स्थिति वैवाहिक जीवन को प्रभावित करती है एवं आधुनिक युग में भी जन्मकुण्डली पर भी लोगों का विश्वास है।

निष्कर्ष –

युवाओं में बढ़ती महत्वाकांक्षा की प्रवृत्ति एवं सामाजिक परिवर्तन के कारण कई पहुलओं पर युवा व्यक्तिवादी सोच रखते है। इस अध्ययन से प्राप्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि युवाओं का अपने विवाह के संबध में अपने परिवार के प्रति विश्वास बना हुआ है जो परिवार जैसी महत्वपूर्ण संस्था के स्थायित्व के लिये आवश्यक भी अपने विवाह से अधिक अपनी शिक्षा एवं आत्मनिर्भरता के प्रति अधिक संवेदनशील है।

समाज में विवाह की आयु को यौन संबंध स्थापित करने की क्षमता की दृष्टिकोण से नही देखा जाता अपितु सामाजिक, आर्थिक, परिपक्वता की दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। पारिवारिक जिम्मेदारियों के निर्वाहन की क्षमता जब युवक प्राप्त कर लेता है तब विवाह करना या होना उचित समझा जाने लगा है।

परिवार की आर्थिक स्थिति वैवाहिक स्थिति को प्रभावित करती है। परिवार की उच्च आर्थिक स्थिति होने पर भी युवाओं का व्यक्तिगत आय अर्जित करना उनके विवाह के लिये आवश्यक है।

संदर्भ –

(1) उच्चतर समाजशास्त्र विश्वकोष, हरिकृष्ण रावत।
(2) भारत में परिवार विवाह और नातेदारी, शोभिता जैन।
(3) भारतीय समाज, राम अहुजा।
(4) हिन्दू परिवार मिमांसा, श्री हरीदत्त बेदालंकार।
(5) मेरी सहेली. अप्रैल 2008.